(५५) (157)

II/निग०/सिंगरौली/2017/4759

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियार कोर्ट कैम्प रीवा जिला रीवा म०प्र०

[court fee stamps: 20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES; 2रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES]

Rs 30/-

रोहिणी प्रसाद प्रजापति पिता दददो प्रजापति उम्र 30 साल पेशा-मजदूरी एव कृषि निवासी ग्राम साजापुर तहसील सरई थाना सरई जिला सीधी म०प्र०

... निगरानी कर्ता

बनाम

गोपाल सिंह पिता शिव मंगल सिंह गोड निवासी ग्राम साजापानी तहसील देवसर जिला सिगरौली म०प्र० .. गैर निगरानीकर्ता गण

प्रस्तुतकर्ता श्री विनोद तिवारी द्वारा वेश/25.11.17

कलर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

आदेश विरुद्ध निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सिगरौली के रा.प्र. क्रमाक 80/निगरानी/2009-10 मे पारित निर्णय दिनाक 25.9.2017 के विरुद्ध ।

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू. राजस्व संहिता 1959 ई०

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त मे सार

यह निगरानी निगरानी कर्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला सिगरौली के द्वारा निगरानी प्र. क्रमाक 80/निगरानी/2009-10मे पारित निर्णय दि० 25.9.17 से दुखित होकर श्री मान् के समक्ष प्रस्तुत की जारही है, निगरानी मे अपर कलेक्टर जिला सिगरौली के द्वारा विधि विरुद्ध एव नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध जो आदेश पारित कियागयाहै, वह आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है, अपरकलेक्टर जिला सिगरौली के द्वारा प्रकरणकी सुनवाई वो बिना अधी० न्यायालय के रिकार्ड आहूत किए एवबिना रिकार्ड का अवलोकनकिए तथा गैर निगरानी कर्ता को समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना जो आलोच्य आदेश आदेश पारितकिया

क्र..

रोहिणी प्रसाद प्रजापति

XXXIX(a)-BR(H)-11

(५५)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / भू–रा0 / 2017 / 4759 जिला–सिंगरौली

रोहिणी प्रसाद / गोपाल सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 80 / निगरानी / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	